12.3.22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
प्रतिवादी सं. 1 व 9 की ओर से [illegible] ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया।
वादीगण की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।
राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
रिपोर्ट पेशकार साहब की रिपोर्ट के अनुसार राजीनामा से वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत राजीनामा एवं पेशकार साहब की रिपोर्ट के आधार पर लोक अदालत की भावना से वाद, वादीगण स्वीकार किया जाता है।

[illegible] निर्णय पृथक से [illegible] लिखाया जाकर [illegible] पत्रावली फैसल अनुसार [illegible] की [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:36 IST
Reason: SelfAttested

बाद स्वीकार है
नन्दराम
बाद स्वीकार योग्य है
पत्रावली
जमादीरा
चेतन कुमार
ललिता सुमन
Manju Suman
भंवर लाल

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 18 / 2022

तारीख दायरा 02.03.2022

उनवान

1. शांति बाई पत्नि स्व0 हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।

2. मंजू बाई पुत्री हीरालाल पत्नि गोरधान जाति माली निवासी कोटा।

3. ललिता सुमन पुत्री हीरालाल पत्नि हेमराज जाति माली निवासी कोटड़ी कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी बोरदा।

2. चेतन कुमार पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।

3. चन्दा बाई पुत्री हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।

4. जगदीश पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।

5. नन्दराम पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी बोरदा।

6. पन्नालाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी बोरदा।

7. बन्टी पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।

8. बसन्ती बाई पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी बोरदा।

9. शंकर पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।

10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:36 IST
Reason: SelfAttested

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट</u>

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता(वकील वादीगण)

दिनांक :– 12.03.2022

श्री नाथूलाल नागर(वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया की माल ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा में निम्न आराजी स्थित है:–

विवरण आराजी:–

क.सं.	खसरा नम्बर	रकबा है.
1	160	0.01
	161	1.24
	272	0.45
	273	0.01
	279	0.41
	320	2.26
	80	1.13
	82	[illegible]
	8 किता	6.64 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण चतुर्भुज हीरालाल व भंवरलाल के शामलाती खाते में दर्ज थी। उक्त खातेदारान की मृत्यु होने पर राजस्व कर्मचारियों ने खातेदारान का फौती इन्तकाल दर्ज करते समय वादीगण का राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी शान्ति का नाम राजस्व रेकार्ड में कान्ती दर्ज कर दिया तथा इसी तरफ मन्जू का नाम सहवहन से भूली दर्ज कर दिया जबकि वादिनी मन्जू का नाम प्रारम्भ से ही मन्जू रहा है इसी प्रकार ललिता सुमन का नाम ललता बाई दर्ज कर दिया उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है। विवादित आराजी पर वादीगण का सही नाम अंकित नहीं हो पाने से वादीगण को कृषि विकास कार्य करने व सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा यही वाद की विषय वस्तु है।

इस बाबत वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण की पहचान श्री नाथूलाल नागर एडवोकेट ने की तथा वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। सरकार की तरफ से स्वयं तहसीलदार सांगोद उपस्थित होकर पटवारी हलका से रिपोर्ट प्राप्त कर वाद पत्र की डिकी की जाकर नाम संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसे बाद जांच तस्दीक किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, [illegible] दस्तावेजात, इकबाली जवाब दावा, जवाब सरकार एवं मुताबिक राजीनामा के आधार [illegible] स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की आराजी खाता सं. 53 की ख.न. 160, 161, 272, 273, 279, 320, 80, 82 कुल किता 8 की कुल 6.64 हैक्टर आराजी में वादी सं.1 का नाम कान्ति के स्थान पर शान्तिबाई तथा वादी सं. 2 का नाम भूली बाई के स्थान पर मन्जू बाई तथा वादी सं. 3 का नाम ललता बाई के स्थान पर ललिता सुमन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:36 IST
Reason: SelfAttested